कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,
Phone/Fax: 0135 2767611

भारत 2023 INDIA

पत्रांक–2198 /FP/UK/ROAD/18757/2016: देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद बागेश्वर में फटगाली–धमोल–मालूझाल–ओखलसों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 59 / 2017 / एफ0सी0 / 1048, दिनांकः–27.08.2018।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356 / 12–1, दिनांक–27.02.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक **स्वीकृति की अनुपालन आख्या**
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.206 है0 ग्राम–किलपारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356 / 12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.206 है0 ग्राम किलपारा, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 22,86,725.00 मात्र (रू0 बाईस लाख छियासी हजार सात सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.206 है0 ग्राम किलपारा, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 30 / छब्बीस–31 वन / 2017–18 दिनांक 18.12.2018 व तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–237 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 दिनांक 08.01.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।**(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356 / 12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा रू0 26,95,671.00 मात्र

	जमा की जायेगी।	(रू0 छब्बीस लाख पिचानब्बे हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है **(चालान की प्रति संलग्न–2)।**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356/12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति कके रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356/12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है किएन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No.SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा रू0 49,82,396.00 मात्र (रू0 उनपचास लाख बयासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र) जमा की जा चुकी है। **(संलग्न 02 के अुनसार)।**
5	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सडक के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक–2356/12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
6	The State Govt will upload correct data about employment generation at para E(ii) online Part-I.	Correct data about employment generation is uploaded at para E(ii) online Part-I.

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड़ के पत्रांक–2356/12–1, दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

संख्या : 2196 / FP/UK/ROAD18757/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड़, अल्मोड़ा को पत्रांक–2356/12–1, दिनांक–27.02.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

20/3/23

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

90

(79)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक –2356 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 27-02-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में फटगली – धमोल–मालूझाल–ओखलसों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/18757/2016।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 59 / 2017 / एफ0सी0 / 1048 दिनांक 27.08.2018।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2751 / 12–1 (2) दिनांक 06.02.2023 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां स्पीड पोस्ट के माध्यम प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सां० अ० / प्रभारी बागेश्वर
आ० का० के०
प्र०मु०व०सं०/ नो०
06-3-23

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 4464
पत्रावली 215
दिनांक 6-3-23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 2751 / 12-2 बागेश्वर दिनांक : 08/02/2023

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- **जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोल–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/18757/2016**

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक स0 08बी / यू0सी0पी0/06/59/2017/ एफ0सी0 / 1048 दिनांक 27.08.2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में **फटगली–धमोल–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को** प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.206 है0 ग्राम–किलपारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.206 है0 ग्राम किलपारा, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 22,86,725.00 मात्र (रू0 बाईस लाख छियासी हजार सात सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.206 है0 ग्राम किलपारा, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश स0 30 / छब्बीस–[illegible] वन / 2017–18 दिनांक 18.12.2018 व तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–237 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 दिनांक 08.01.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा रू0 26,95,671.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख पिचानब्बे हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न–2)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति कके रूप में	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 122248834878 Dtd 5.09.2022 द्वारा रू0 49,82,396.00 मात्र (रू0 उनपचास लाख बयासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र) जमा की जा चुकी

	मान्य नहीं होगी।	है (संलग्न 02 के अनुसार)।
	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–4)
6	The State Govt will upload correct data about employment generation at para E(ii) online Part-I.	Correct data about employment generation is uploaded at para E(ii) online Part-I.

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 263/2ई.व.भू.   दिनांक 23/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोल–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/18757/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/59/2017/एफ0सी0/1048 दिनांक 27.08.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.206है0 ग्राम–किलपारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.206 है0 ग्राम किलपारा, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 49,82,396.00 मात्र (रू0 उनपचास लाख बयासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN122248834878 Dtd 5.11.2022 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.206 है0 ग्राम किलपारा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 30/छब्बीस–31 वन/2017–18 दिनांक 18.12.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–237/ र0का0 /व0भू0ह0/2018 दिनांक 08.01.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN122248834878 Dtd 5.11.2022 द्वारा रू0 49,82,396.00 मात्र (रू0 उनपचास लाख बयासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Received 23/1/23

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN122248834878 Dtd 5.11.2022 द्वारा रू0 49,82,396.00 मात्र (रू0 उनपचास लाख बयासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	The State Govt will upload correct data about employment generation at para E(ii) online Part-I.	Correct data about employment generation is uploaded at para E(ii) online Part-I.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

23.01.2023

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

बागेश्वर

O/C

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 59 / 2017 / एफ0सी0 / 1048 दिनांकः 27 / 08 / 2018

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में फटगली–धमोल–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 585/X-4-17/1(75)/2017 दिनांक 27.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/18757/2016 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **बागेश्वर में फटगली–धमोल–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.206 है0 ग्राम – किलपारा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. The State Govt. will upload correct data about employment generation at para E (ii) online Part I.

Cont....

कपलप्रीत
23/8/18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:—**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.206 है0 ग्राम – किलपारा सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 131 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3.
4. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कॉर्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-08-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6118757423
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/59/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	4982396/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighty-Two Thousand Three Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118757423 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कॉर्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-08-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6118757423
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/59/2017/FC
Location:	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	4982396/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighty-Two Thousand Three Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118757423 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

PF No. 85... 05 SEP 2022 KAJAL

SBIN122248834878

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर के अंतर्गत फटगली–धमोल–मालूझाल–औखलसो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 4.103 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 8.206 है0 जो ग्राम किलपारा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–80 के पैमाईशी खेत नम्बर 162 रकवा 2.775 है0 एंव खेत नं0–163 रकवा 8.125 है0 मध्ये 5.431 है0 कुल 8.206 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)ख (2)जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II) 2012–18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/59/2017/एफ0 सी0/1048 दिनांक 27.08.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –30 / छब्बीस –31 वन /2017–18 दिनांक 18/12/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

17/12

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वन भूमि सहायक
19/12/18

3534
20-12-18

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–237/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 08 जनवरी, 2019

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
पंजी. नं. [illegible]
डायरी नं. 156
दिनांक 21-1-19
बागेश्वर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत फटगली–धमोल–मालूझाल–औखलसौ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 4.103 है० की दुगुनी अवनत भूमि 8.206 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 30/छब्बीस– 31 वन/2017–18 दिनांक 18/12/18 के अनुपालन में ग्राम किलपारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 80 के पैमायशी खेत नं० 162 रकवा 2.775 है० एवं खेत नं० 163 रकवा 8.125 है० मध्ये 5.431 है० कुल 8.206 है० श्रेणी 9(3) ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
, कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

तहसीलदार
तहसीलदार
कपकोट
तहसील कपकोट

श० ज० वि० खतौनी उद्धरण ग्राम किलपारा रा० (उ) नि० क्षेत्र बदियाकोट

9(3) ख-2 भूमि जो जिसमें अन्य प्रकार के पेड़ (वृक्ष) झाड़ियों के समूह व लम्बी घास आदि हो :-

खाता सं०	खातेदार का नाम	फ० वर्ष	खेत सं०	रकबा	विवरण
					श्रीमान जिलाधिकारी महोदय [illegible]
20	जंगल ❋		1	2.166	आ० सं० उ०/डब्लीस/31-वन 2017-18
	——— x ———		2	1.245	दिनांक 18/12/18 के शासनादेश सं० 3447
			3	2.379	xviii(11) 2017-18(120) 2012 दि० 17/1
			5	2.783	2012 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु
			क्रमशः :—		परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार उत्तराखंड
			160	4.188	देहरादून के पत्र सं० 08 बी० यू० सी० के
			161	2.250	06/591/2017 एफ० सी० 1048 दि० 27/8
			162	2.775	में दी गयी शर्तों के अधीन जनपद
			163	8.125	बागेश्वर के अन्तर्गत कटगली धमोल
			166	3.125	मालूसाल - ओकेलतो मोटर मार्ग के
					निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 4.103
			क्रमशः :—		की दुगुनी अवनत भूमि 8.206 है०
			644	4.375	किलपारा के गौठ जो कि ख० खा० में
			645	4.375	के पैठ खेत संख्या 162 रकबा 2.775
					खेत सं० 163 जिसमें 8.125 है० में से
			646	2.500	5.431 है० कुल 8.206 है० भूमि को
			647	4.000	9(3) ख० जंगल में दर्ज भूमि को क्षति
			x	x	पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष
					हस्तान्तरण / नामान्तरण दर्ज किया
					(हस्ताक्षर) रा० उ० नि० बदियाकोट
	योग →		40	153.399	

महोदय,
तैयार किया,
(हस्ताक्षर) 30/12/18
रा० उ० नि०
बदियाकोट

सत्यापित,

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
9/1/19
तहसील कपकोट

2.13

प्रपत्र सं0– 46.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग .द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

2.37

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर